न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)

लिंक पीठासीन अधिकारीः- **आशीष कुमार कुमावत,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक **(ज 0 प्रा0 पत्र)**संख्याः**- 134/2026(CIS N. 153/2026)**

गोमती देवी पत्नी सुलतान, उम्र- 53 वर्ष, निवासी- डूमरा, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला- झुंझुनूं (राज०) **...प्रार्थीया/अभियुक्ता**

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **.....विपक्षी**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या **492/2018** पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं,
अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1 श्री फूलचंद सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीया
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश **दिनांकः- 18.03.2026**

1. प्रार्थीया गोमती देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

2. नवपदस्थापित श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण यह जमानत आवेदन सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.11.2018 को परिवादिया श्रीमती अरूणा शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी ने थानाधिकारी, कोतवाली, झुंझुनूं के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि वर्ष जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान विभाग की मृत्यु सहायता योजना में गलत तरीके से भुगतान किया गया जिसमें जांच उपरान्त अतिरिक्त श्रम आयुक्त व संयुक्त सचिव मण्डल के पत्र क्रमांक एफ० 18(77)भनिकम/झुंझुनूं/20480 दिनांक 31-10-2018 में अतिरिक्त श्रम आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से अपात्र श्रमिकों के आश्रितों के विरूद्ध (जिन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर सहायता प्राप्त की है) एफ०आई०आर० दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए है। उक्त समयावधि में कार्यालय में जिला श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर श्री अशोक कुमार जैन तथा कनिष्ठ

लिपिक के पद पर श्री राजकुमार जाखड़ कार्यरत थे जिनके नाम पर उस समय जिला प्रबन्धक की एल०डी०एम०एस०आई०डी० जारी थी। अतिरिक्त श्रम आयुक्त के पत्र में इनके नाम भी एफ०आई०आर० में दर्ज करवाने के निर्देश है। (अतिरिक्त श्रम आयुक्त का पत्र संलग्न है इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 492/2018 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। पुलिस ने अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना साबित पाया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का यह तर्क है कि प्रार्थीया को झूठा फंसाया जा रहा है, प्रार्थीया ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीया एफआईआर में नामजद नहीं है। प्रार्थीया को पुलिस झूठा गिरफ्तार करने पर आमादा है। उनका तर्क है कि सह अभियुक्ता गण का अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थीया का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थीया अनुसंधान में सहयोग करने एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों की पालना करने को तैयार है। अतः प्रार्थीया को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे। उपरोक्त का विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया।

5. बहस सुनी गई एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. समस्त तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन करने के उपरान्त इस प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर प्रकट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। सह अभियुक्ता गण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय/इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, वतर्मान प्रार्थीया का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. फलतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **गोमती देवी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता को पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **492/2018** में गिरफ्तार किया जाना

आवश्यक हो तो प्रार्थीया की ओर से थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टिप्रद पचास–पचास हजार रूपए की दो जमानते और एक लाख रूपए का स्वयं का बंधपत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन निष्पादित करा दिए जावे तो उसे जमानत पर उन्मुक्त कर दिया जावेः–

1 प्रार्थीया थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण हेतु बुलाए जाने पर तुरन्त उपस्थित होकर अन्वेषण में हरसंभव सहयोग करेगी।

2 प्रार्थीया बिना न्यायालय की अनुमति भारत नहीं छोड़ेगी।

3 प्रार्थीया किसी आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न नहीं होगी तथा परिशांति बनाए रखेगी।

4 प्रार्थीया प्रकरण से संबंधित गवाहान एवं तथ्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी।

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

8. आदेश आज दिनांक **18.03.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.23 15:18:02 +0530

(आशीष कुमार कुमावत)
''लिंक अधिकारी''
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)